


14.03.2026

परिवादी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से श्री डी.के. सोनी उपस्थित। पैनल लॉयर श्री शरद चिपड उपस्थित।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रकरण में परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा व मुलजिम द्वारा प्रशमन व दुरुपयोग राशि अदा करना बताते हुए अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिस पर सुना गया।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से यह अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। केस डायरी लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत


अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत